

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepank Kumar Sharma

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forests

And Climate Change & Ors

....Respondents

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit of District Magistrate Bijnor in compliance of order dated 21.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	Annexure R-1 A copy of letter dated 15.02.2023.	
3.	Annexure R-2 A copy of letter dated 20.02.2023	
4	Annexure R-3(Colly) A copy of Application of Respondent no 10 (Mr.Dinesh kumar sharma) Dated 10.01.23 and E-3 Receipt dated 10.01.2023	
4.	Annexure R-4 A copy of Felling Permit of 26 mango tree dated 29.09.2025	

THROUGH:

DATED: - 13.12.2025

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

A-15, FF, Nizamuddin East, New Delhi- 110013

MOB:- 09990804440 Email-ankit.scngtup@gmail.com



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

1135




IN-UP88759852997223X

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP88759852997223X
 Certificate Issued Date : 09-Dec-2025 03:49 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14424004/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1442400474262675141359X
 Purchased by : JASJIT KAUR DO PARMINDER SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : JASJIT KAUR DO PARMINDER SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : JASJIT KAUR DO PARMINDER SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



Please write or type below this line



जिलाधिकारी
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

Statutory Alert:

- The veracity of the Stamp certificate should be verified at www.eStamp.gov.in or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India Limited.
- Any discrepancy in the details on the Certificate besides available on the website / Mobile App renders it invalid.
- THE VALIDITY OF SIGNING THE EQUIVALENT TO THE SEALS OF THE CERTIFICATE.

Vertical text on the right edge of the page.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepank Kumar Sharma

...Applicant


Versus

Ministry of Environment, Forests

And Climate Change & Ors

....Respondents

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BIJNOR IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 21.11.2025 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL



The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Jasjeet Kaur aged about 40 years, d/o shree parmindra singh presently posted as District Magistrate Bijnor, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am abovementioned officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and are competent to swear this affidavit.

प्रधान न्यायाधीश
 न्यायिक वानिकी विभाग
 बिजनौर

Sanjay Kumar
 Notary, Bijnor (U.P.)

जिलाधिकारी
 बिजनौर

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the affidavit which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present affidavit have been prepared and drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the deponent is posted as District Magistrate Bijnor since 18 January 2025.
5. That it respectfully submitted that the Respondent No.7 had earlier filed his reply affidavit 07.08.2024 in compliance with the order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal. Additional reply dated 21.08.2024 was also filed by the respondent no.7. It is submitted that the contents of the present affidavit may be deemed to be incorporated in and read as part and parcel of the earlier affidavits filed and is not being repeated herein for the sake of brevity.

6. That it is submitted that this Hon'ble Tribunal vide its order dated 25.08.2025 was pleased to observe as under:- **Arguments heard. 2. Written submissions dated 18.08.2025 have been filed by respondent no. 8. Written submissions dated 18.08.2025 have been filed by respondent no. 10.**



Sanjay Kumar
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)

Sanjay Kumar
Notary, EIJNOR (U.P.)

Sanjay Kumar
Notary, EIJNOR (U.P.)

Written submissions may be filed by learned Counsel for the remaining parties, if so desired, within one week. 3. Order/Judgment is reserved to be pronounced on or before 30.09.2025.

7. That the instant matter was again listed on 21.11.2025, wherein this Hon'ble Tribunal sought certain clarifications and directed the parties to file additional replies.
8. That the present reply is being filed in respectful compliance of order dated 21.11.2025.
9. That it is respectfully submitted that the respondent No.7 (Divisional Forest Officer Bijnor) vide his letter dated 06.11.2025 has informed the deponent about the factual status of the instant Original Application.
10. That it was informed that a communication was received by the District Horticulture Officer District Bijnor vide his letter no.1323/ pattan/ 2022-2023 dated 15.02.2023 wherein request for cutting of forty mango trees situated on Gata no. 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 and 2128 was made by the Respondent NO 10 namely (Mr Dinesh Kumar Sharma) was appended. The said communication further revealed that the forty trees situated at the above mentioned gatas are healthy and green. A copy of letter dated 15.02.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**



प्रतिनिय निदेशक
कानूनीक वाक्य प्रसार
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

11. That on the basis of the report dated 15.02.2023 received from the District Horticulture Officer, the respondent No.7 (Divisional Forest Officer Bijnor) vide his letter no 1464/29-5 dated 20.02.2023 informed Mr Dinesh Kumar Sharma (Respondent No 10) that on the basis of report received from the District Horticulture Officer permission for felling of forty mango tress cannot be granted and thereby it is denied. A copy of letter dated 20.02.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

12. That it is further submitted that the prescribed format obtained by the Respondent No.10 (Mr Dinesh Kumar Sharma) from the office of the Range forest officer Bijnor on dated 10.01.2023 shown as application dated 10-01-2023 for cutting of forty mango trees is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.(colly)**

13. That it is submitted that details with regards to land use of gata numbers, ownership, circle rates and standing mango trees and trees which have been cut illegally/without obtaing requisite permission is reproduced below in a chart for kind perusal-

सर्किल रेट का विवरण, ग्राम मण्डावर, परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर-

S. Kumar
Notary
Bijnor (U.P.)

↓
बिजनौर
बिजनौर

बिजनौर निदेशक
सर्किल रेट
बिजनौर



क्र०सं० (S.N o.)	खसरा संख्या (Khasra No.)	भूमि का प्रकार (Type of Land)	राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर खसरा की स्थिति (Khasra status on National/st ate Highway)	जनपदीय मार्ग पर खसरा की स्थिति (Status of Khasra on the district road)	लिंक मार्ग पर खसरा की स्थिति (stat us of khas ra on the link road)	सामान्य दर अथवा किसी भी मार्ग पर स्थिति नहीं है (No standa rd rate or any route status)	वर्ष 2025 के अनुसार सर्किल रेट की दर, रू० प्रति हेक्टेयर (Circle rate per hectare as per the year 2025)	वर्ष 2024 के अनुसार सर्किल रेट की दर, रू० प्रति हेक्टेयर Circle rate per hectare as per the year 2024)	अन्य विवरण (अभ्युक्ति) Other details (remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	2119	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 रू० प्रति हे०	सर्किल रेट सूची के सामान्य निर्देश संख्या 8(क) के अनुसार यदि विकीत आराजी के 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि अतिरिक्त अन्य गतिविधिया संभव हैं तो 500 वर्ग मीटर यानि 0.050 हे० पर अकृषि दर बाकि आराजी पर 60 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन किया जा सकता है।
02.	2120	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 प्रति हे०	70,00,000 रू० प्रति हे०	
03.	2121	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 प्रति हे०,	70,00,000 रू० प्रति हे०	
04.	2122	कृषि	नहीं	हां	नहीं	नहीं	10,500,000 रू० प्रति हे०	86,00,000 रू० प्रति हे०	
05.	2123	कृषि	नहीं	हां	नहीं	नहीं	10,500,000 प्रति हे०	86,00,000 रू० प्रति हे०	
06.	2124	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	
07.	2125	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	
08.	2126	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	
09.	2127	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	
10.	2128	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	हां	84,00,000 रू० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	

● भूस्वामी का विवरण, ग्राम मण्डावर परगना-मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर।

क्र.सं. (S.NO.)	गाटा सं. (Gata No.)	खसरा सं. (Khasra No.)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में, (Area in hectare)	भूमि का प्रकार (Category of land)	भू-स्वामित्व खतौनी के अनुसार (Owner of the land as per Khatauni)	भूमि का वर्तमान स्वामी खतौनी के अनुसार (Present owner as per khatauni)	अंश (Part of land)	भूमि की विक्री की दिनांक (Date of sale of land)	एच-2 के अनुसार अभियुक्त का नाम (Name accused in H-2 case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	326	2119	0.089	1(क) सकमंणीय	श्री दिनेश कुमार शर्मा	निखिल कुमार, दर्पण अग्रवाल	सम्पूर्ण	27.28. 2024	-
02	326	2120	0.152	1(क) सकमंणीय	"	मौ० इस्लाम रशीद	"	29.01. 2024	-
03	326	2121	0.114	1(क) सकमंणीय	"	"	"	29.01. 2024	-
04	326	2122	0.291	1(क) सकमंणीय	"	"	"	29.01. 2024	-



Sanjay Kumar
Notary, Bijnor (U.P.)

जिलाधिकारी,
बिजनौर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	326	2123	0.221	1(क) सकमंणीय	"	निखिल कुमार, दर्पण अग्रवाल	"	27.08. 2025	-
06	326	2124	0.126	1(क) सकमंणीय	"	निखिल कुमार, दर्पण अग्रवाल दिनेश कुमार शर्मा	0.043 हे0 0.083 हे0	27.08. 2025	-
07	326	2125	0.177	1(क) सकमंणीय	"	मौ0 इस्लाम रशीद	सम्पूर्ण	29.01. 2024	-
08	326	2126	0.202	1(क) सकमंणीय	"	"	"	29.01. 2024	-
09	326	2127	0.101	1(क) सकमंणीय	"	"	"	29.01. 2024	-
10	326	2128	0.114	1(क) सकमंणीय	"	दिनेश कुमार शर्मा	"		-

नोट:- मण्डावर कस्बा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।

● गाटावार खड्डे वृक्षों का विवरण, ग्राम मण्डावर परगना-मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर

क्र.सं. (S.N.)	खाता संख्या (Khata No.)	खसरा संख्या (Khasra No.)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (Area in hectare)	पूर्व में खड्डे वृक्षों की संख्या (Number of trees standing)	वर्तमान में खड्डे वृक्षों की संख्या (Number of trees standing in present)
1	326	2119	0.089	04 आम	04 आम
2	326	2120	0.152	07 आम	-
3	326	2121	0.114	06 आम	-
4	326	2122	0.291	19 आम	10 आम
5	326	2123	0.221	16 आम	16 आम
6	326	2124	0.126	06 आम	06 आम
7	326	2125	0.177	आम-01 अमरुद-04	अमरुद-04
8	326	2126	0.202	आम-02 सागौन-05 अमरुद-07	सागौन-05 अमरुद-07
9	326	2127	0.101	आम-01 अमरुद-03	अमरुद-03
10	326	2128	0.114	आम-06 शीशाम-01	आम-06 शीशाम-01
कुल वृक्षों की संख्या				68 आम	42 आम



Sanjay Kumar
Notary, BUNIOR (U.P.)
Bihar, India

Sanjay Kumar
Notary, BUNIOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

भूपरिवर्तन के संबंध में विवरण, ग्राम मण्डावर परगना-मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर

क.सं. (S.No.)	खाता संख्या (Khata No.)	खसरा संख्या (Gata No.)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (Area in hectare)	भूपरिवर्तन की स्थिति (Land use condition)	भू-परिवर्तन की तिथि व आदेश (date of land use)
1	326	2119	0.089	कृषि	-
2	326	2120	0.152	कृषि	-
3	326	2121	0.114	कृषि	-
4	326	2122	0.291	कृषि	-
5	326	2123	0.221	कृषि	-
6	326	2124	0.126	कृषि	-
7	326	2125	0.177	कृषि	-
8	326	2126	0.202	कृषि	-
9	326	2127	0.101	कृषि	-
10	326	2128	0.114	कृषि	-

• आम वृक्षों की अनुमति के संबंध में ग्राम मण्डावर परगना-मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर

क.सं. (s.no.)	खाता संख्या (Khata No.)	गाटा संख्या (Gata No.)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (Area in hectare)	पूर्व में खड़े आम वृक्षों की संख्या (आम वृक्ष) (standing mango trees)	शासनादेश सं० उ०प्र० सरकार वन विभाग-2488/14-5-2002-7/9 3 दिनांक 28.12.2002 (अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार विहित) परमिट संख्या-3474008 दि. 29.09.2025 (Permitt Number)	वर्तमान में खड़े वृक्षों की संख्या (आम वृक्ष) (standing mango trees in present)
1	326	2119	0.089	04	00	04
2	"	2120	0.152	07	07	00
3	"	2121	0.114	06	06	00
4	"	2122	0.291	19	09	10
5	"	2123	0.221	16	00	16
6	"	2124	0.126	06	00	06
7	"	2125	0.177	01	01	00
8	"	2126	0.202	02	02	00
9	"	2127	0.101	01	01	00
10	"	2128	0.114	06	00	06
कुल वृक्षों की संख्या (Total number of trees)				68	26	42



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

1. खसरा संख्या 1083 व अन्य के संबंध में आख्या।

सर्किल रेंट का विवरण, ग्राम मण्डावर थाना, तहसील व जिला बिजनौर।

क्र. सं. (S. N.)	खसरा संख्या (Khasra Number)	भूमि का प्रकार (type of land)	राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर खसरा संख्या (Khasra number on National/state highway)	जनपदीय मार्ग पर खसरा की स्थिति (Khasra number on district road)	लिंकमार्ग पर खसरा की स्थिति (Khasra number on link road)	सामान्य दर अथवा किसी भी मार्ग पर स्थित नहीं है।	वर्ष 2025 के अनुसार सर्किल रेट (circle rate in 2025)	वर्ष 2024 के अनुसार सर्किल रेट (Circle rate in 2024)	वर्ष 2023 के अनुसार सर्किल रेट (Circle rate of 2023)	अन्य विवरण। (other details)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1083	कृषि	—	हां	—	—	10,500,000 रु० प्रति हे०	86,00,000 प्रति हे०	57,00,000 प्रति हे०	सर्किल रेट सूची के सामान्य निर्देश संख्या 8(क) के अनुसार यदि विकीत आराजी के 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ संभव हैं तो 0.050 हे० यदि 500 वर्ग मीटर पर अकृषिक दर बाकि आराजी पर 60 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाता है।
02	1084	कृषि	—	हां	—	हां	84,00,000 रु० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	46,00,000 प्रति हे०	
03	1089	कृषि	—	हां	—	हां	84,00,000 रु० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	46,00,000 प्रति हे०	
04	1090	कृषि	—	हां	—	हां	84,00,000 रु० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	46,00,000 प्रति हे०	
05	1093	कृषि	—	हां	—	हां	84,00,000 रु० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	46,00,000 प्रति हे०	
06	1094	कृषि	—	हां	—	हां	84,00,000 रु० प्रति हे०	70,00,000 प्रति हे०	46,00,000 प्रति हे०	

● भू-स्वामी का विवरण, ग्राम मण्डावर थाना, तहसील व जिला बिजनौर।

क्र० सं० (S.no.)	खाता संख्या (Khata Number)	खसरा संख्या (Khasra number)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में, (area in hectare)	श्रेणी (Category)	भू-स्वामित्व खतौनी के अनुसार (land owner as per khatauni)	दाखिल खारिज तिथि (filing dismissal date)	बैनामा की तिथि (date of the deed)	वर्तमान में स्वामित्व (land owner in present)	अंश (part of land)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	331	1083	0.797	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	17.03.2024	29.01.2024	देवेश कुमार शर्मा, मौ० हासिम।	0.459 हे. 0.338 हे.
2	331	1084	0.126	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	—	—	देवेश कुमार शर्मा	0.126 हे.
3	331	1089	0.341	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	11.03.2024	29.01.2024	मौ० हासिम	0.341 हे.
4	331	1090	0.228	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	—	—	देवेश कुमार शर्मा	0.228 हे.
5	331	1093	0.686	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	—	—	देवेश कुमार शर्मा	0.686 हे.
6	331	1094	0.164	1(क)	देवेश कुमार शर्मा	—	—	देवेश कुमार शर्मा	0.164 हे.
कुल क्षेत्रफल (Total area)									2.342 हे.



बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

बिजनौर

● गाटेवार खड्डे वृक्षों का विवरण, ग्राम मण्डावर थाना, तहसील व जिला बिजनौर।

क्र. सं. (S.No.)	खाता संख्या (Khata no.)	गाटा संख्या (Gata no.)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (area in hectare)	कुल खड्डे वृक्षों की संख्या (total standing number of tree)	एच-2 केस संख्या (H-2 case number)	एच-2 केस जारी करने की तिथि (date of H-2 case)	अभियुक्त का नाम (name of accused)	वर्तमान में खड्डे वृक्षों की संख्या (total standing trees in present)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	331	1083	0.797	32 आम	75/बिजनौर/2023-24	26.03.2024	देवेश कुमार शर्मा, मौ0 हासिम	03
02	331	1084	0.126	06 आम		(आम-38)		00
03	331	1089	0.341	10 आम				00
04	331	1090	0.228	08 आम	68/बिजनौर/2023-24	11.02.2025	देवेश शर्मा, हासिम	00
05	331	1093	0.686	20 आम	76/बिजनौर/2023-24 (गाटा सं.-1089 से 07 आम वृक्ष)	27.03.2024	नईम, देवेश शर्मा आदि	00
06	331	1094	0.164	06 आम			(आम-33)	
कुल वृक्ष (total tree)				82 आम				

● भू-परिवर्तन के संबंध में विवरण, ग्राम मण्डावर थाना, तहसील व जिला बिजनौर।

क्र0सं. (S.no.)	खाता संख्या (Khata number)	गाटा संख्या (Gata number)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (Area in hectare)	भू-परिवर्तन की स्थिति (Land change status)	भू-परिवर्तन की घोषित दिनांक (land change date)	टिप्पणी (details)
1	2	3	4	5	6	7
01	331	1083	0.797	अकृषिक	13.02.2024	
02	331	1084	0.126	आबादी रा0जो0		खसरे के अनुसार
03	331	1089	0.341	अकृषिक	04.05.2024	
04	331	1090	0.228	आबादी रा.जो.		खसरे के अनुसार
05	331	1093	0.686	अकृषिक	13.02.2024	
06	331	1094	0.164	अकृषिक	13.02.2024	

आम वृक्षों की अनुमति के संबंध में, ग्राम मण्डावर थाना, तहसील व जिला बिजनौर।

क्र.सं. (Sr. No.)	खाता संख्या (Khata number)	गाटा संख्या (Gata number)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (area in hectare)	पूर्व में खड्डे आम वृक्षों की संख्या (total number of standing tree)	अनुमति दी गयी वृक्षों की संख्या (permitted number of trees)	वर्तमान में खड्डे वृक्षों की संख्या (total standing number of trees in present)	अवैध रूप से पातित किये गये वृक्षों की संख्या (number of trees illegally felled)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	331	1083	0.797	32	-	03	79
2	331	1084	0.126	06	-	-	
3	331	1089	0.341	10	-	-	
4	331	1090	0.228	08	-	-	
5	331	1093	0.686	20	-	-	
6	331	1094	0.164	06	-	-	
कुल वृक्ष (total plant)				82	-	03	79

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

14. That it is further submitted that on the basis of report of District Horticulture officer, Bijnor along with application of Mr Mohd Islam Rasheed, for felling of forty (40) mango trees out of sixty eight (68) situated at - [**present owner of gata nos. 2120, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127 by virtue of sale deed 29.01.2024**] permission dated 29.09.2025 was granted by the Respondent No.7 for felling of twenty six (26) trees. **Annexure R-4 (colly).**

15. That it is respectfully submitted, that the Respondent No.7 (Divisional Forest Officer, District Bijnor) further informed the deponent that on 07.11.2023 application seeking permission for felling Eighty Two (82) mango trees situated on gata nos 1083, 1084, 1090, 1094 which is annexed at page 183 of the reply dated 07.08.2024 filed by the Respondent No.7, was received by hand from Respondent No.8 (Mr Devesh Kumar Sharma), wherein he was orally informed about the requisite/additional formalities to be fulfilled before granting permission for felling of the mango trees.

16. That it has been further informed that since the requisite formalities were not completed by the Respondent No.8 and repeated complaints were being made by the Respondent No.8 on IGRS portal for felling of eighty two (82) trees, the Respondent No.7 vide his office order number 249/27-18-3 dated 13th December 2023 which is annexed at page 186 of the

reply filed by the Respondent No.7 directed the Respondent

जिलाधिकारी
बिजनौर
कानून/जि.क. कार्यालय
बिजनौर


Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

✓ जिलाधिकारी
बिजनौर

No.8, to comply with certain conditions before seeking permission for felling of trees. Since no response was received by the Respondent No.8 on office order dated 13th, December 2023, therefore the permission was deemed to be denied for felling of the aforesaid trees.

17. That it is submitted that section 5 of UP Tree Protection Act, 1976, lays down procedure for permission to fell or remove trees which is being reproduced herein:-

5. (1) Any person entitled to fell a standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of a fallen tree, may make an application to such officer in such form as may be notified by the State Government, for permission to fell such standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of such fallen tree and the officer to whom such application is made, shall, within twenty days after making such enquiry as he thinks fit, forward the application along with his report to the competent authority. (2) The competent authority shall, within fifteen days from the date of receipt of the report under sub-section (1), grant or refuse the permission applied for: Provided that the competent authority may, if he is not satisfied with the report made under sub-section (1), make such further enquiry as he thinks fit: Provided further that such permission shall not be refused without affording the opportunity of hearing to the applicant: Provided also that such permission shall not be refused if the tree constitutes danger to person or property: Provided further that except in such areas as may be notified by the State Government in this behalf, such permission shall not be required for felling of any tree with a view to appropriating the wood or leaves thereof for bona fide use for purposes of fuel, fodder, agricultural implements or other domestic use: Provided also that such immediate steps as are necessary to remove any obstruction or nuisance or to prevent any danger may be taken without such permission. (3) Where the competent authority fails to take any decision under sub-section (2) within the time specified therefor, it shall be deemed that the permission applied for, has been granted. (4) Every



Sanjay Kumar
Notary, BUNOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

permission granted under this Act shall be subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be specified from time to time by the State Government by notification.

18. That it is further submitted that the District Bijnor shares it's boundary with the Jim Corbett National Park and Raja Ji National Park wherein human and animal conflict has been reported constantly. The State Government has declared this as a disaster. In the year 2023 till December seventeen casualties were reported, due to which regular protests were made by the public in front of the office of the Divisional Forest Officer, which was also reported in the daily news. On account of such administrative exigencies and disturbance on several occasions, the official work of the office of the Respondent No.7 was hampered.

19. That in the interest of justice, the present affidavit may be taken on record.

DEPONENT

Verification



I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there

from. Sworn before me on this 09th day of the Dec 2025 by Jasjeet Kaur who has been identified by self who is personally known to whose signature 2025.

DEPONENT

09-12-25
BIJNOR (U.P.) 246719
जिलाधिकारी
बिजनौर

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

प्रक,

जिला उद्यान अधिकारी
बिजनौर

प्रेषित,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर

पत्रांक:- 13-23

/पातन/2022-23/दिनांक 15-9-2023

महोदय,

आपके पत्रांक 1260(के)/27-18-3/बिजनौर/दिनांक 13-01-2023 के क्रम में कृषक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री देव शर्मा निवासी गाजियाबाद के निजी खतौनी/खेत सं० 2119 से 2128 मौजा मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के पेडो का निरीक्षण, उद्यान निरीक्षक से कराया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण आख्या के अनुसार मौकों पर स्थित कृषक/वन विभाग द्वारा चिन्हित 40 पेड आम की जांच की गयी जांच में पाया गया की सभी चिन्हित 40 पेड हरे-भरे व स्वस्थ खड़े हैं।
संलग्न:-उक्तानुसार मूल पत्रावली।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)
जिला उद्यान अधिकारी
बिजनौर



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

P.A. 20
20/09/23
15/24/23

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

↓
जिला उद्यान अधिकारी
बिजनौर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
पत्रांक- 1464 / 29-5 दिनांक, बिजनौर, 20/ फरवरी, 2023।


सेवा में,

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री देव शर्मा
नि0 गाजियाबाद मकान न0 1810 सुशीला क्लिनिक
पिलखुआ देहात, गाजियाबाद जिला बिजनौर।
पिन- 245304।

विषय - पातन अनुज्ञा आवेदन निरस्त करने बावत।

आपके के द्वारा अपनी निजी भूमि मौजा मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के खेत सं0 2119 से 2128 में स्थित 40 आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा सम्बन्धी आवेदन दिनांक रहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण में उद्यान अधिकारी बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी चिन्हित 40 पेड़ हर भरे व स्वस्थ खड़े हैं। अतः जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आम वृक्षों का पातन परमिट दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आपका उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर


90



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)


बिजनौर निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर


जिलाधिकारी
बिजनौर

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

सप्त प्रभागीय वन विभाग
सां वा० मुरादाबाद, बिजनौर

बुक संख्या- 05/33.

क्रम संख्या- 330

..... सां वा० प्रभाग. तीर्थ जमौरी उ० प्र०
श्री दिनेश कुमार उ० देव आशी नि० मथान नं० 1810 सेठि रोडा परखुआ देहली जी०
गौरी प्रयाग

से मुबलिय रुपये (अंकों में) 10=00 (शब्दों में) दस रूपये मात्र

बाबत पान अकूआ आरवदन शुल्क हेतु प्राप्त किये।

दिनांक 10-01-2023

Sanjay Kumar
वनीय अधिकारी
बिजनौर
(नाम व पदनाम सहित)

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

Sanjay Kumar
प्रभागीय निदेशक
राज्य वानिकी प्रभाग
बिजनौर



Sanjay Kumar
जिलाधिकारी
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BUNOR (M.P.)

1151 28' 29.8"
E-78° 07' 33.4"

R-3 (2)

क्रमांक 10/-

आवेदन शुल्क प्राप्ति रसिद संख्या 05/33 दिनांक 10-01-2023
कमांक.....

वृक्ष प्रभाग का नाम -

सांसाजिक तानिकी प्रभाग, विजनीर

पत्तिका संख्या

वित्तीय वर्ष

2022-23

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा-5(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/उप प्रभागीय वनाधिकारी/तहसीलदार/उद्यान निरीक्षक/वनविद.....

सा. वा. प्रभाग विजनीर..... जिला विजनीर।

गहोदय,

मैं/हम दिनेश कुमार पुत्र श्री देव शर्मा

निवासी राधिकाबाई डाक टाकियाबाई तहसील राधिकाबाई

जिला विजनीर अपने निजी कश्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/चाहते हैं, जो नीचे दिये

गये विवरण के अनुसार ग्राम सरवाँव तहसील विजनीर जिला विजनीर

में पड़ने वाली मरी/हमारी भूमि के प्लॉट/खसरा संख्या 119 से 212 तक का 1.5 हे. में स्थित है।

क्र.सं.	वृक्ष की प्रजाति	छाती की रैचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (से.मी.)	वृक्ष को हटाने/गिराने का कारण
1	2	3	
1	आम - 40 वृक्ष	230, 245, 245, 260	पुराने पथ रोग जाल
2		275, 275, 290, 280, 295	फलहीन
3		280, 285, 295, 215, 220	
4		290, 275, 280, 215, 220	
5		235, 235, 260, 210, 215	
6		240, 240, 245, 215, 235	
7		215, 225, 235, 225, 260	
8		240, 245, 245, 260, 285	
9		215	

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात् अपने काले वर्ना कपड़े से पूर्ण.....

प्रजाति संख्या.....के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का पथ देना है/करे है।

3. मैं/हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा/गिराऊँगे और हटाऊँगे या मैं/हम श्री.....

सरवेज खालम पुत्र श्री अकाल मल्हान निवासी ग्राम मौ. प्रौ. वी. प्रान. न. हटौट

डाकखाना न. हटौट तहसील ग्रामखुल जिला विजनीर को उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने

और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/करेंगे, जिसके लिये गारंटी दान स्वीकारित.....

मैं/हम प्रमाण पत्र पर प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न है।

दिनांक 10/01/2023
दिनेश कुमार



जिलाधिकारी
विजनीर

प्रभागीय निदेशक
सांसाजिक तानिकी प्रभाग

Sanjay Kumar
Notary, BUNDEL (N.P.)

- मैं प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पाष्यातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति
 के रूप में प्रति पौधा रु० 1000/(एक सौ रुपया मात्र) की दर से/रुपये डाकघर
 बचत बैंक पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी के पद नाम गिरवी रखी गयी है,
 संलग्न करता हूँ/करते हैं।
5. मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृति के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को विनिश्चय का पत्र ब्यवहार करने के लिए अपना पतायुक्त स्टापि लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते हैं।
 6. मैंने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करूँगा/करेंगे।
 7. मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है।
 8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हआने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के साथ भाग-2 में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप से)
2. अपना पतायुक्त सत्यापित रजिस्ट्री डाक लिफाफा
3. मुख्तारनामा (यदि लागू हो)
4. शपथ पत्र मय फोटो
5. खसरा-खतौनी की प्रति

दिनेश कुमार

आवेदक का हस्ताक्षर.....
 नाम..... दिनेश कुमार
 पुत्र श्री..... दे. प्र. शर्मा
 निवासी ग्राम..... म. 70/100, मशीला, डाक. पिल्लुआ
 तहसील..... म. 70/100, मशीला, डाक. पिल्लुआ
 पिन कोड..... 245304

दिनांक..... 10/1/2023
 स्थान..... म. 70/100



Sanjay Kumar
 Notary, B.R. (U.P.)

सिद्धाधिकारी
 विजयनगर

प्रकाशित सिद्धाधिकारी
 आधिकारिक कार्यालय प्रकाशित
 विजयनगर



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
(अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी
प्रभाग, 3474008 संख्या दिनांक 29/09/2025

शेष में :

श्री/श्रीमती/कुमारी	Mohammad Islam Rashid	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	क्षेत्र: यामीण Abdul Rashid	जिला:	बिजनौर
तहसील	NAGEENA	परगना:	नगीना	थाना:	- Nagina
डाक	Khas	ग्राम सभा:	Mohallis Sarai Meer Nagina	गांव:	Mohalla Sarai Meer Nagina

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 30/08/2025 और जॉच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1 आम			210 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट		210 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
2 आम			250 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट		250 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
3 आम			255 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट		255 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
4 आम			260 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट		260 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
5 आम			260 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट		260 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी



Sanjay Kumar
Notary, Bijnor (U.P.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग
बिजनौर

बिजनौर
बिजनौर

उत्तर प्रदेश (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



6 आम	270 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	270 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
7 आम	270 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	270 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
8 आम	275 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	275 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
9 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
10 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
11 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
12 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
13 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
14 आम	285 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	285 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
15 आम	290 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	290 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
16 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
17 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी



Sanjay Kumar
Notary, BUNOR (U.P.)

प्रसादीय निदेशक
भाजिव
बिजनौर

विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



18 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
19 आम	305 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	305 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
20 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
21 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
22 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
23 आम	325 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	325 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
24 आम	330 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	330 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
25 आम	330 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	330 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
26 आम	342 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	342 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी

एन एस सी संख्या:

020176552538 date 29.09.2025

डाकघर का नाम bijnor

राशि : 25000.00

युक्त वृक्ष श्री Mohammad Islam Rashid पुत्र श्री Abdul Rashid के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 2120-22, 2125-27 रकबा 137 जिला बिजनौर तहसील BIJNOR परगना मंडावर ग्राम सभा Mandawar थाना Mandawar गांव Mandawar डाक Khas में स्थित है।

अदालत ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक प्रत्येक बचत पत्र के रूप में प्रति पोधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पोधों स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहरिरे का दैनिक पारिक्षामिकः

प्रमुखीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग
बिजनौर



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जैसा तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।

सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत कराये एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।

अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये।

इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या 34/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे।

यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 01/10/2025 से 15/10/2025 तक विधिमाम्य होगा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर

खया: 3474008 दिनांक: 29/09/2025 पत्रांक: 1372

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अयसारित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी /बिजनौर

वन क्षेत्राधिकारी बिजनौर ...जिला बिजनौर

मानाध्यक्ष Mandawar जिला बिजनौर

उपजिलाधिकारी BIJNOR....जिला बिजनौर

समारी सुरक्षा बल बिजनौर...जिला बिजनौर

AR
प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर(सावा) वन प्रभाग
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

जिलाधिकारी
बिजनौर

about blank

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अधीन वृक्ष पातन की अनुज्ञा के लिए आवेदन
(उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा 5(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निहित)

आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

आवेदन तिथि 30/08/2025	आवेदन संख्या 3474008	पातन अनुज्ञा शुल्क (100 रु / वृक्ष की दर से) 2600	पावती संख्या /1253
श्री/ हन Mohammad Islam Rashid	पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री Abdul Rashid	आधार लिंक नंबर 9997285060	क्षेत्र - ग्रामीण
जिला बिजनौर	तहसील NAGEENA	परगना नगीना	आधार कार्ड 402175396298
डाक Khas	ग्राम सभा Mohalla Sarai Meer Nagina	गांव Mohalla Sarai Meer Nagina	थाना Nagina

अपने निजी कास्त के वृक्ष/वृक्षों को काटना चाहता हूँ / चाहते हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैं।

क्षेत्र ग्रामीण	जिला बिजनौर	तहसील BIJNOR	परगना मंडावर
थाना Mandawar	डाक Khas	ग्राम सभा Mandawar	गांव Mandawar
प्लॉट संख्या/गाटा संख्या 2120-22, 2125-27	क्षेत्रफल/रकबा (हेक्टेयर में) 1.037	पिन कोड 246762	जिला वन अधिकारी बिजनौर(सावा) वन प्रभाग
पातन किसके द्वारा किया जायेगा स्वयं			

वृक्षों का विवरण

क्रम संख्या	वृक्ष की प्रजाति	132 से.मी.की ऊंचाई पर गोलाई/परिधि (से.मी.)	वृक्ष की गिराने /हटाने का कारण
1	आम	210	दोहरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट
2	आम	250	दोहरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट
3	आम	250	दोहरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट

जिलाधिकारी
सामाजिक वास्तविकी विभाग
बिजनौर



जिलाधिकारी
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

		about blank	
	आम	260	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
5	आम	260	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
6	आम	270	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
7	आम	270	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
8	आम	275	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
9	आम	280	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
10	आम	280	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
11	आम	280	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
12	आम	280	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
13	आम	280	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
14	आम	285	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
15	आम	290	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
16	आम	295	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
17	आम	295	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
18	आम	295	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
19	आम	305	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
20	आम	310	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
21	आम	310	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
22	आम	310	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
23	आम	325	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
24	आम	330	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट
25	आम	330	दोहरदागी, रोगयस्त एव फलदायी क्षमता मे गिराबट

about blank

2/2


 सहायक न्यायिक अधिकारी
 कानून विभाग
 बिजनौर



Sanja Kumar
 Notary, Bijnor (U.P.)


 सहायक न्यायिक अधिकारी
 बिजनौर

आम

DUPLICATE

342

दोहरदागी, रोगयुक्त एवं फलदायी क्षमता में
गिरावट

🌳 वृक्षारोपण का विवरण (आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व काटे गए वृक्षों की संख्या के दुगुनी संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण स्थल)

क्षेत्र ग्रामीण	ज़िला बिजनौर	तहसील BIJNOR	परगना मंडावर
थाना Mandawar	ग्राम सभा Mandawar	गांव Mandawar	गाटा संख्या 2120-22, 2125-27
क्षेत्रफल/रकबा (हेक्टेयर में) 1.037			

🌳 अपलोड किये गये अभिलेख

खसरा की
सुसंगत मूल प्रति

खतौनी की
सुसंगत मूल प्रति



मूल रूप में
न्यायिकतर
स्टाम्प पत्र पर
नोटरी द्वारा
सत्यापित
मुखतारनामा
(यदि लागू हो)



at ut blank

35


Sanja Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)
बिजनौर

Sanja Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)


जिलाधिकारी
बिजनौर

आवक: शुल्क प्राप्ति ई-3 राख्य

जिला

कमांक

वन प्रभाग का नाम:- सामाजिक वानिकी प्रभाग विजनाौर।

वर्षा वित्तीय वर्ष 2024-25

संख्या

प्रभागीय निदेशक/ उप प्रभागीय वनाधिकारी/ तहसीलदार/ उद्यान निरीक्षक/ वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग
विजनाौर जिला विजनाौर।

महोदय

01- मैं/ हम श्री. इस्लाम खान पुत्र श्री अ. खान निवासी मौ. सराफ मीर

डाक खान तहसील विजनाौर जिला विजनाौर अपने निजी काशत के वृक्ष (वृक्षों) को गिराने और हटाना चाहता हूँ/ चाहते हैं जो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ग्राम मण्डानर तहसील विजनाौर जिला विजनाौर में पडने वाली मेरी/ हागारी भूमि के प्लॉट/ खसरा संख्या 2120, 2121, 2122, 2125, 2126 स्थित हैं।

क्र.सं.	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी)	वृक्ष को हटाने/ गिराने का कारण।
1	आम	295, 342, 270, 285, 325	खिला उद्यम अधिकारी विजनाौर के
2	"	290, 310, 295, 210, 310,	पत्रांक- 455-57/कल आता, मु.।
3	"	280, 260, 310, 330, 280,	2024-25 दि. 09-12-2024 के
4	"	260, 250, 255, 275, 270,	अनुसार, 16 आम वृक्ष का निष्प्रेषण
5	"	330, 280, 280, 295, 305,	परिष्कार एवं सफाई के लिए
6	"	280	खसरा मालिक के परामर्श
7			
8			
9			
10			

02- मैं/ हम वृक्षों को गिराने के तुरत नश्वत आने वाली वर्षा ऋतु से पूर्व आम प्रजाति के संख्या 160 के वृक्ष का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

03- मैं/ हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा/ गिरावों और हटावों या मैं/ हम श्री श्री. इस्लाम खान पुत्र श्री अ. खान निवासी मौ. सराफ मीर डाकखाना खान तहसील व जिला विजनाौर को उपर्युक्त वृक्ष/ वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूंगा/ करेगा जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित 10/- रुपये के न्यायिकेतर रटाम्प पत्र पर प्राधिकार पत्र के साथ सलग्न है।

04- मैं प्रत्येक वृक्ष को गिराने के लिए 10 पत्रों का रोपण और सफाईकर्ता देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति वृक्ष 100/- (एक सौ रुपये) की दर से 26000 रुपये डाकधर बचत बैंक पाराबुक/ राष्ट्रीय बचत पत्र जो सक्षम प्राधिकार के पद नाम पर गिरवी रखी गयी है, सलग्न करता हूँ/ करते हैं।

श्री. इस्लाम खान
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
विजनाौर



Sanjay Kumar
Notary, JUNOR (U.P.)

श्री. इस्लाम खान
विजनाौर

/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृति के संघ में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पतायुक्त स्टापि लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते हैं।

06- मैंने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबंधों को पढ लिया है और हम/मैं उनका पालन करूंगा

07- मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

08- अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के साथ भाग-2 में विहित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी का अग्रसरित करने का कष्ट करे।

संलग्नक:-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में)
2. अपना पतायुक्त सत्यापित रजिस्ट्री डाक लिफाफा।
3. मुख्तारनामा (यदि लागू हो)
4. शपथपत्र मय फोटो सहित।
5. खसरा-खतौनी की प्रति।

दिनांक.....
स्थान.....

अवेदक के हस्ताक्षर.....
नाम श्री. इरफान खान
पुत्र श्री डॉ. रशीद
निवासी ग्राम/मौ. सुखम मंद, गीता
तहसील ब-गीता
पिनकोड.....


प्रभागीय निदेशक
जिलाधिकारी का कार्यालय
बिजनौर




प्रभागीय निदेशक
जिलाधिकारी का कार्यालय
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

↓
जिलाधिकारी
बिजनौर

संलग्नक:-
सेवा में श्री श्री वृष सावेकारी
बिजनौर

आपके आदेशानुसार मुच्छक जी जो इलाक रबीह 01/0 सठ रापी/गन्धि मंदिर
संयम मीर, नगीला तल नगीला निठ बिजनौर डी गिप्पी अमे परामा मन्दापूर डे मेष
मुच्छकनर के ख.स। 2120, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127 रकबा के 10.57 ह
में कुल 52 साम के बूझ छोड़े है। बिना डबस सावेकारी बिजनौर डे फाउंड
9-55/कल. डबस ग मुलमान 2004-25 डे 09-12-24 डे अनुसार 16 (आण मी
रोडा प्रुस्त डोने के चारण के बडागी खसरा में परतु गिरावट सा मपी. डे) 16 स
के बूझो की नपतना विनय विमन्त डे-

- 1) साम 295 8-9 परिपत्र
- 2) -" 342
- 3) -" 270
- 4) -" 285
- 5) -" 325
- 6) -" 290
- 7) -" 310
- 8) -" 295
- 9) -" 210
- 10) -" 310
- 11) -" 280
- 12) -" 160
- 13) -" 310

- 14) साम 280 8-9 परिपत्र
- 15) -" 310
- 16) -" 220
- 17) -" 280
- 18) -" 260
- 19) -" 250
- 20) -" 255
- 21) -" 245
- 22) -" 270
- 23) -" 330
- 24) -" 280
- 25) -" 245
- 26) -" 320

अतः जाक रिपोरिटादा डेपिडि

(Signature)
जिलाधिकारी
बिजनौर



(Signature)
प्रभागीय निदेशक
कृषि विज्ञान विभाग
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, BILNOR (U.P.)

(Signature)
जिलाधिकारी
बिजनौर

अनुसंलग्नक-एक (भाग दो)

जांच रिपोर्ट (सैंक्शन इंचार्ज)

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा-5(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा (विहित)

गया में

क्षेत्रीय वन अधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी

समाप्त/अधिकांश/अन्य विजेनार

आवश्यक जांच करने के पश्चात मैं अधोहस्ताक्षरी सत्यापित करता हूँ कि आवेदक श्री श्री. इन्द्र प्रसाद शर्मा

पुत्र श्री अ. बबू नियासी ग्राम/मौ. सराम गिर, नगीन डाकखाना खाद
तहसील जिला बिजनौर ने आवेदन पत्र (भाग 1) में सही और शुद्ध सूचना दी है। मैंने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और उक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हटाने की अनुज्ञा जारी करने से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा।

या

आवश्यक जांच करने के पश्चात मेरी राय है कि ऊपर उल्लिखित आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुज्ञा का आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

-
-

उपर्युक्त रिपोर्ट के साथ आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है तथा कृषक के खेत में स्थित कुल 52 आम वृक्षों में से सलग्न विवरण के अनुसार कुल 26 आम वृक्षों के पातन परमिट जारी करने की सस्तुति की जाती है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
नाम रुचिर नैषधी
पदनाम सेक्रेटरी

टिप्पणी

1. प्रमाणित किया जाता है कि कृषक की उपस्थिति में वृक्षों की जांच की गयी एवं नजरी-नक्शों पर कृषक के हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।
2. निजी काश्त एवं सड़क/नहर/रेलवे लाईन/ग्राम समाज/अन्य वनों की सीमा का कोई विवाद नहीं है तथा वृक्ष निर्विवाद रूप से कृषक की भूमि पर स्थित हैं। इसकी पुष्टि स्थानीय लेखपाल एवं ग्रामीणों से कर ली गयी है।
3. कृषक की काश्त सड़क, नहर/रेलवे लाईन/ग्राम समाज/अन्य वनों की सीमा से 1.50 मी० की दूरी पर स्थित हैं।
4. कृषक के खेत में स्थित कुल वृक्षों की संख्या 52 आम है, जिनका विवरण सलग्न किया गया है।
5. पातन योग्य वृक्षों की प्रजाति गोलाई 1 दशा का विवरण पुस्त पर अंकित है।
6. पातन अनुज्ञा जारी होने के पश्चात वृक्षों के अवैध पातन न होने पाये, विशेष सर्तकता बरती जायेगी तथा नियमानुसार अभिवहन रबन्ना जारी होने के पश्चात प्रकाष्ठ का अभिवहन होने दिया जायेगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर
पदनाम सेक्रेटरी



रुचिर नैषधी
विभागीय अधिकारी
जिला वन विभाग
बिजनौर

Sanjay Kumar
Notary, Bijnor (U.P.)

रुचिर नैषधी
विभागीय अधिकारी
जिला वन विभाग
बिजनौर